UPGZ010068482026

न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी० एक्ट) गाजियाबाद।

उपस्थित: नितेन्द्र कुमार **(एच० जे० एस०)**

J O I.D. U P- 6356

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1290/2026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 3118/2026

CNR No.UPGZ010068482026

मोनू उर्फ मोहनलाल पुत्र सुन्दरलाल, निवासीगण-म०नं० 177,गली नं० 5,गुलाब वाटिका, अगरोला,थाना-लोनी बार्डर, जिला-गाजियाबाद

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन

मु० अ० सं० 318/2023

धारा-147,149,452,323,504,506 भा.द.सं.

थाना-लोनी बार्डर,जिला- गाजियाबाद।

दि0 12-06-2026:

1- प्रार्थी/अभियुक्त मोनू उर्फ मोहनलाल की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र मु० अ० सं० 318/2023 धारा-147,149,452,323,504,506 भा.द.सं.,थाना-लोनी बार्डर, गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3- जमानत प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना, पत्रावली दाण्डिक वाद सं.1404/2025 सरकार बनाम विशाल भारद्वाज आदि एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4- जमानत प्रार्थनापत्र के आलोक में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में कोई भूमिका व साक्ष्य नहीं है। मात्र केस डायरी के पर्चा सं.7 दिनांकित 29-07-2023 में सहअभियुक्त अमित कुमार उर्फ अमरीश, अभियुक्ता श्रीमती रूबी, किशोर कुमार उर्फ राहुल के धारा-161द.प्र.सं. के तहत दिये गये बयानों के आधार पर अभियुक्त बनाया है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस

द्वारा धारा–41(1)द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। सहअभियुक्तगण अमित उर्फ अमरीश, राहुल उर्फ किशोर कुमार व श्रीमती रूबी व विकास वर्मा के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय से स्वीकृत हो चुके हैं। अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा होने पर प्रार्थी/अभियुक्त की प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़ कर भाग जाने अथवा गवाहान को प्रभावित करने का कोई अँदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करने, न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं न्यायालय की संतुष्टि में उचित जमानत देने को तैयार है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5– अभियोजन के अनुसार दिनांक–28–06–2023 को समय करीब 19.30 बजे वादी प्भारी उपनिरीक्षक दिलशाद अहमद अन्य पुलिस बल के साथ चैंकिग में व्यस्त थे तभी बंद फाटक लोनी बार्डर के पास कुछ व्यक्ति शराब पीकर आमादा फिसाद होने की सूचना मिली तो मौके पर जाकर फसाद करने वाले व्यक्तियों को समझाने का काफी प्रयास किया किन्तु दोनों पक्ष आपस में गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी,डण्डे से मारपीट करने लगे जिसमें प्रथम पक्ष के विशाल भारद्वाज, नीतिश भारद्वाज,नीतिश भारद्वाज,रविन्द्र व रेखा व द्वितीय पक्ष के अमित,श्रीमती रूबी, सिर में और शरीर में काफी चोटें आयीं, जिसमें सिर पर चोट लगने से रविन्द्र मौके पर बेहोश हो गया ।

6– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से थाने से प्राप्त आख्या प्रस्तुत कर,अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के साथ घर में घुस कर मारपीट की गयी, जमानत का कोई आधार नहीं है, अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना है।

7– पत्रावली वाद सं० पत्रावली दाण्डिक वाद सं.1404/2025 सरकार बनाम विशाल भारद्वाज आदि के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–147, 149,452,323,504,506 भा.द.सं. में आरोप–पत्र दाखिल किया जा चुका है। आरोपित सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सहअभियुतगण– अमित उर्फ अमरीश,श्रीमती रूबी एवं राहुल उर्फ किशोर की अग्रिम जमानत दिनांक–13–02–2026 को तथा विकास वर्मा की अग्रिम जमानत दिनांक–13–02–2026 को पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है। समानता का आधार है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित सभी धाराएं सात वर्ष तक के दण्ड की परिधि में है। विवेचना के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के समस्त तथ्य/परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये, प्रस्तुत केस में प्रार्थी/अभियुक्त मोनू उर्फ मोहनलाल को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मोनू उर्फ मोहनलाल की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के अनुपालन में

सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष अंकन–50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू एवं अण्डरटेकिंग, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर उसे अग्रिम जमानत पर निम्न शर्तानुसार रिहा किया जाए–

(i) प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा एवं विवेचक/न्यायालय द्वारा पूछताछ हेतु तलब किये जाने पर उपस्थित होगा।

(ii) प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे, न ही सबूत से छेडछाड़ करेगा ।

(iii) प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, देश की सीमाओं से बाहर नहीं जायेगा।

(iv) प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा ।

दि0 12–06.2026

(नितेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),गाजियाबाद।